न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—330/2018/225 (2018/00330)

1. विक्रम पुत्र स्व0 राजेन्द्र,
2. पूजा पुत्री स्व0 राजेन्द्र,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम मदारपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. अन्नासिंह पुत्र बुद्धा,
2. धन्नासिंह पुत्र बुद्धा,
3. रतनसिंह पुत्र बुद्धा,
4. नारायणसिंह पुत्र बुद्धा,
5. कर्मसिंह पुत्र हरजीत,
6. बरमासिंह पुत्र॰ हरजीत,
7. विमला पुत्री हरजीत,
8. कमला देवी पत्नि स्व0 धर्मसिंह,
9. योगेन्द्रसिंह पुत्र॰ स्व0 धर्मसिंह,
10. जितेन्द्रसिंह पुत्र धर्मसिंह नाबालिग जरिये माता कमला देंवी,
11. बेवी पुत्री स्व0 धर्मसिंह,
12. बदामी पुत्री बुद्धा,
13. शांति पुत्री बुद्धा,
14. शांतिदेवी पत्नि राजेन्द्रसिंह,
15. महेन्द्रसिंह पुत्र अन्नासिंह,
16. भंवरी देवी पत्नि अन्नासिंह,
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम मदारपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
18. उप पंजीयक, घूघरा घाटी, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 23.10.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 38/2018.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील अपीलांटस ।
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 2, 5 से 9.
3. रेस्पो0 संख्या 1, 10, 11.14 से 16 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 17 व 18.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 4.10.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के आदेश दिनांक 23.10.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2. प्रार्थीगण/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जो कि अपीलांट के दादा अन्नासिंह पुत्र बुद्धा एवं उनके भाई व बहनों की सहखातेदारी काश्तकारी की आराजियात है । अपीलांटस के पिता स्व0 राजेन्द्र पुत्र अन्नासिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक वारिसान अपीलांटस है जिनका खाता संख्या 140 कुल किता 3 रकबा 0.35 है0 में 5/66 हिस्सा बनता है तथा खाता संख्या 147 कुल किता 35 रकबा 3.77 है0 में 5/120 हिस्सा बनता है । उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.8.2018 को पेश किया जिसके पश्चात् दिनांक 12.10.2018 को प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बैचान किये जाने से प्रार्थना पत्र बाबत् आज ही किये जाने सुनवाई पेश किया गया । उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की गई जिसमें न्यायालय द्वारा स्वंय इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि वाद विचाराधीन रहते भूमि का बैचान हो गया है, जिस पर दिनांक 23.10.2018 को पेशी नियत की गई तथा दिनांक 23.10.2018 को पेशी नियत की गई तथा दिनांक 23.10.2018 को अधी0न्याया0 द्वारा समस्त तथ्यों को देखते हुए भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इंकार कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के द्वारा आदेश दिनांक 23.10.2018 में प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 पर विस्तार से सुना गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा कहे गये कथनों का विवेचन किय गया और यह भी स्वीकार किया गया कि रेस्पो0 संख्या 1 अन्नासिंह के द्वारा दिनांक 18.9.2018 को वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 1464, 523, 526 का बैचान किया जा चुका है परन्तु पत्रावली पर नोटिस अथवा अदम तामिल प्राप्त नही होना दर्शाया है जबकि यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य था कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.8.2018 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रथम सुनवाई दिनांक 27.9.2018 को नियत की गई थी । उपरोक्त सुनवाई दिनांक 27.9.2018 से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 अन्नासिंह पुत्र बुद्धा के द्वारा दिनांक 12.9.2018 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र की नकल प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 को नकल जारी की गई है जो कि न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त वाद की जानकारी दिनांक 12.9.2018 को ही हो चुकी थी । इसके उपरांत दिनांक 18.9.2018 को रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा भूमि का बैचान यह सिद्ध करता है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने वाद की जानकारी होते हुए भूमि का बैचान किया है जिसे न्यायालय द्वारा भी माना गया है किन्तु इसके बावजूद भी रेस्पो0 संख्या 1 की तामील नहीं मानते हुए आदेश दिनांक 23.10.2018 पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 का आक्षेपित आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है क्योंकि उपरोक्त आदेश के तहत अधी0न्याया0 ने यह विवेचित किया है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का

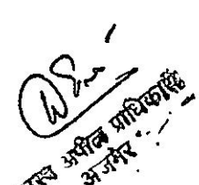

अवलोकन किया गया एवं सुना गया जिसके पश्चात् विस्तृत आदेश पारित किया जाना चाहिये था परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा मात्र अस्वीकार लिखते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अधी0न्याया0 का आदेश काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 23.10.2018 निरस्त किया जावे तथा राजस्व वाद के निस्तारण तक रेस्पो0 को पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजियात का बैचान नहीं करे और राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2, 5 से 9 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 ने आदेशिका दिनांक 23.10.2018 में यह अंकित किया है कि अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त नहीं है जो पत्रावली में आवश्यक पक्षकार है । आवश्यक पक्षकार को न्यायहित में सुना जाना आवश्यक समझते है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को बिना अप्रार्थीगण की तामील के एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है । अधी0न्याया0 की आदेशिका का उक्त अंकन आदेश न होकर विधिक प्रक्रिया का हिस्सा है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाकर अंतरिम आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । <u>प्रार्थीगण/अपीलांटस</u> ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर में खाता संख्या 140 कुल किता 3 रकबा 0.35 है0 व खताा संख्या 147 कुल किता 35 कुल रकबा 3.77 है0 अवस्थित है । खाता संख्या 140 किता 3 रकबा 0.35 है0 में 5/22 हिस्सा प्रार्थीगण के दादा का है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का 5/66 हिस्सा बनता है । इसी प्रकार खाता संख्या 147 कुल किता 35 रकबा 3.77 है0 में प्रार्थीगण के दादा अन्नासिंह पुत्र बुद्धा का 5/40 हिस्सा बनता है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का 5/120 हिस्सा बनता है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण ने विक्रय पत्र की फोटो प्रति दिनांक 18.9.2018 पेश की थी जिससे स्पष्ट था कि अन्नासिंह पुत्र बुद्धा सिंह रावत द्वारा बैचान किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष यह तथ्य प्रकट हो चुका था कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजियात का बैचान किया गया है तथा आगे भी किये जाने की संभावना है ऐसी स्थिति मे अधी0न्याया0 को अप्रार्थीगण के अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर जवाब देने तक विवादित भूमि की सुरक्षा हेतु प्रार्थीगण द्वारा क्लेम किये गये हिस्से तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित किया जाना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि के विक्रय किये जाने के तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित नहीं करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मूल प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें बाद साक्ष्य एवं सुनवाई प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावेगा । चूंकि अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में उपस्थित हो चुके है। अतः हम न्यायहित में अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के निस्तारण तक प्रार्थीगण के हिस्से तक अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबदं करना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य

तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2018 निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के निस्तारण तक प्रार्थीगण के हिस्से तक विवादित आराजियात को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करे । पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर आवश्यक रूप से 30 दिवस में निर्णित करे । न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण होने पर स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 4.10.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर